पदक भत्ता की दरों में संशोधन/ फैक्स / ई-मेल

संख्या- 03/2020/27पी /छः-पु-6-2020-500 (56) /1998 टी0सी0

प्रेषक,

भगवान स्वरूप
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
2- अपर पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय,
प्रयागराज/ लखनऊ ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 08 जनवरी, 2020

विषयः Enhancement of the Monetary Allowances for the recipients of President s Police Medal for Gallantry Police Medal for Gallantry आदि के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11026/03/2017-पी0एम0ए0 दिनांक 14 जून, 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक एवं वीरता के लिए पुलिस पदक आदि के संबंध में पदक भत्ता की दरों में संशोधित आदेश निर्गत किए गए हैं।

2- पूर्व में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-11026/09/2011-पी0एम0ए0 दिनांक 13 मई, 2013 के क्रम में शासनादेश संख्या-1933पी/छः-पु-6-13-500(56)/98 दिनांक 22 मई, 2014 निर्गत किया गया है।

3- भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 14 /15 जून, 2018 के संदर्भ में प्राप्त उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज के पत्र संख्या-छः-5-2009 (पार्ट 2) दिनांक 03-05-2019 के प्रस्ताव/सूचना के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक 14 जून, 2018 में भारत सरकार द्वारा संस्तुत पुलिस के राजपत्रित व अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस पदक प्राप्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को दिनांक 15 जून, 2018 से निम्नांकित बढी हुई दरों पर पदक भत्ते का भुगतान किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रमांक	पदक का नाम	वर्तमान दर पर पदक भत्ता EXISTING (रूपये में)	संशोधित दर पर पदक भत्ता REVISED (रूपये में)
1.	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (President's Police Medal for Gallantry)	3000/- प्रतिमाह	6000/- प्रतिमाह
2.	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार (Each of Bar to President's Police Medal for Gallantry)	3000/- प्रतिमाह	6000/- प्रतिमाह
3.	वीरता के लिए पुलिस पदक (Police Medal for Gallantry)	2000/- प्रतिमाह	2000/- प्रतिमाह
4.	वीरता के लिए पुलिस पदक का बार (Each Bar to Police Medal for Gallantry)	2000/- प्रतिमाह	2000/- प्रतिमाह

Dev- medal

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस मद से संबंधित व्यय पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों में कार्यरत कर्मियों के वेतन /भत्तों आदि से संबंधित लेखाशीर्षक के मानक मद 06-अन्य भत्ते से वहन किया जायेगा तथा सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के संबंध में व्यय अनुदान संख्या-62 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ-01-सिविल-101-अधिवर्षता और सेवानिवृत्त भत्ते-03-अधिवर्षता और सेवानिवृत्त भत्ते-33-पेंशन/ अनुतोषिक/ अन्य सेवानिवृत्त हितलाभ " के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: जी-1- 01यू0ओ0 /दस/2014 दिनांक 01 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
भगवान स्वरूप
सचिव।

संख्या- 03/2020/27 (1) /छः-पु-6-2020-500 (56) /1998 टी0सी0, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा- प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. अवर सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय (पी0एम0ए0), नई दिल्ली।
3. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश (मुख्यालय)।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक (परिक्षेत्र)- उ0प्र0।
7. समस्त जिलाधिकारी/ मुख्य कोषाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्धक, यू0पी0 भवन कोषागार, नई दिल्ली।
10. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज।
11. वित्त ई 12/ वित्त सामान्य अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
12. गृह पुलिस अनुभाग-7 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त निर्देशों से अवगत होते हुए अपने अनुभाग से संबंधित अपेक्षित कार्यवाही (बजट व्यवस्था आदि) समयबद् रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
13. गृह (पुलिस) अनुभाग-1/ 8, गृह (पुलिस सेवाएं)-1/2 उ0प्र0शासन।
14. मीडिया सेल, गृह विभाग।
15. गृह नियंत्रण कक्ष, उ0प्र0शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबधित को ई-मेल/ फैक्स कराने का कष्ट करें।
16. गार्ड बुक/ संबंधित स0अ0।

आज्ञा से
महेन्द्र सिंह
अनु सचिव।

Dev- medal

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in